(ख) क्या उक्त लाभ उन अधिकारियों को नहीं दिया गया है, जो आशुलिपिक ग्रेड से आये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विभागीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों के अनुभाग अधिकारी दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां पाने के हकदार है, एक रु० 650–1200 के संशोधित वेतनमान में रु० 810 की स्टेज पर अथवा अनुभाग अधिकारी के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, जो भी बाद में हो, और दूसरा, संशोधन वेतनमान में रु० 960 की स्टेज पर अथवा 6 वर्ष को सेवा पूरी करने पर, इनमें जो भी बाद में हो ;

(I) ऐसे अधिकारी जो 1–7–1959 को अनुभाग अधिकारी ग्रेड-III के पद पर कार्य कर रहे थे अथवा 1959 तथा 1960 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के परिणामों के आधार पर उक्त ग्रेड में नियुक्त किए गए थे।

(II) ऐसे अधिकारी जिन्हें नियमित रूप से नियुक्त उन सहायको में से पदोन्नत किया गया है अथवा पदोन्नत किया जा सकता था, जो 1–7–1959 को उस ग्रेड में कार्य कर रहे थे अथवा अप्रैल तथा मई, 1959 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सहायक ग्रेड परीक्षा के परिणामों के आधार पर सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे।

(ख) जी हां, श्रीमान्, उक्त लाभ नहीं दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त वेतन वृद्धियां केवल उन अनुभाग अधिकारियो तथा सहायकों को मंजूर की गई हैं जिन्हें सेवा ग्रहण करने के समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-II (पुराना) में पदोन्नति के अवसरों का आश्वासन दिया गया था किन्तु जिन्होंने 1–7–1959 से अनुभाग अधिकारियो के पुराने ग्रेड-II तथा ग्रेड-III को मिलाकर अनुभाग अधिकारियों का एकल ग्रेड किए जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति के ऐसे अवसरो को खो दिया था। चूंकि अनुभाग अधिकारियो के रूप में पदोन्नत आशुलिपिको को पदोन्नति के ऐसे भावी अवसरों का आश्वासन नही दिया गया था, इसलिए यह लाभ उन्हें नही दिया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में किसी विभागीय समिति की सिफारिशें नही हैं।

छठी पंच वर्षीय योजना में सिक्किम के लिए आबंटन

9358. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम एक पिछडा राज्य है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में सिक्किम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है और उक्त राशि किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की जायेगी ; और

(ख) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) (क) और (ख). सिक्किम की अवस्थिति और दुरुह शैल प्रदेश को और उसके 1975 में राज्यों के संघ में सम्मिलित होने के तथ्य को ध्यान में रखते

हुए सिक्किम को एक विशेष श्रेणी का राज्य माना जा रहा है और उसे पर्याप्त केन्द्रीय सहायता द्वारा अपनी छठी योजना के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने में समर्थ बनाया जाएगा। राज्य की छठी पंच वर्षीय योजना के आकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Production of Bicycle Companies

9359. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many bicycle companies are managed by Government and details of the same;

(b) where are the manufacturing centres and head offices of all those companies in States; and

(c) the total production of all those companies during the last five years and their financial position?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Under the Provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, Central Government has taken over the management of Sen Raleigh Group of Units and Hind Cycles Limited, which are engaged in the manufacture of bicycles and parts thereof. The Sen Raleigh Group consists of:—

(i) Sen Raleigh Limited;

(ii) Sen and Pandit Industries Limited;

(iii) Ancillary Industries (Lungs) Private Limited;

(iv) Ancillary Industries (Cranks) Private Limited;

(v) Ancillary Industries (Forgings) Private Limited.

Noakhali Machine Tools Limited is a wholly owned subsidiary of Sen Raleigh Limited.

(b)

	Manufacturing Centres	Head Offices
(*i*) Sen Raleigh Limited	Asansol, W. Bengal	Calcutta, West Bengal.
(*ii*) Sen and Pandit Industries Limited	Kalyani Do.	Do.
(*iii*) Ancillary Industries (Lungs) Private Limited	Do.	Do.
(*iv*) Ancillary Industries (Cranks) Private Limited	Do.	Do.
(*v*) Ancillary Industries (Forgings) Private Limited	Do.	Do.
(*vi*) Noakhali Machine Tools Limited .	Narendrapur, Do.	Do.
(*vii*) Hind Cycles Limited	Bombay, Maharash- Ghaziabad (UP)	Bombay, Maharashtra